

## **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-मार्गदर्शी दिशा-निर्देश**

### **अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ**

- यह अधिनियम केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों पर लागू होता है।
- यह उन गैर-मार्गदर्शी संस्थाओं पर भी लागू होता है। जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की आधिक सहायता प्रिली है।
- इस अधिनियम के तहत किसी भी लोक प्राधिकारी कार्यालय से निर्धारित शुल्क अदा करके सूचना प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
- इस अधिनियम ने एक ऐसी शासन प्रणाली सृजित की है जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंचना नुस्खा हुआ है।
- इस अधिनियम के तहत नागरिक को किसी भी नियम के निरीक्षण का भी अधिकार है।
- इस अधिनियम के तहत आवेदन पत्र डाक से भी भेज सकते हैं।
- सूचना का आवेदन पत्र ई-मेल से भी भेज सकते हैं।
- सूचना का अवधारणा ई-मेल से भी भेजित किया जा सकता है।
- नियम का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के अन्दर मार्गी गई सूचना उपलब्ध करायेगा।
- अधिनियम के अंतर्गत केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। नियम, संघ, कम्पनी आदि वैष्णवितों/व्यक्तियों की परिभाषा है इनमें से आगे है किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते। अधिनियम ने ऐसे 'व्यक्ति' को सूचना प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। लेकिन यह यह किसी नियम, संघ, कम्पनी, और सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो सूचना के नागरिक है तो उसे सूचना दी जाएगी वह अपना पूरा नाम दिखात करें। ऐसे मामले में, यह प्रकलिप्त होगा कि एक नागरिक द्वारा नियम आदि के पते पर सूचना मार्गी गई।

### **अधिनियम का उद्देश्य :-**

- नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना।
- नागरिकों को आप व्यक्ति की सूचना में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना।
- नागरिकों को काम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना है।

### **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों के अधिकार :-**

- नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या रिकार्डों के नाम उद्घाटन या प्रामाणित प्रतियोगी प्राप्त करना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई मानस्थानों का सामाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।
- अधिनियम नागरिकों, संसद-सदस्यों और राज्य विधान प्रश्नों के सदस्यों के बाबाबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार नाम सूचना, जिसे संसद अथवा राज्य विधान प्रश्नों को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

### **सूचना से तात्पर्य :-**

- नियम में स्वतंत्र में कोई भी सामग्री 'सूचना' है।
- इसमें इनेक्ट्रूनिक रूप से द्यारित अभिलेख, दस्तावेज, आपन, ई-मेल, पत्र, सलाह, प्रेस विज्ञापन, परिषट, आदेश, लोगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमून, गडल, आकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है।

- इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शमिल है जिसे लोक प्राधिकारी तत्त्वमय तथा नियंत्रित बनाने के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है।
- नागरिक को डिस्क्रेट, फ्लोरी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है दफ्तरों कि मार्गी गई सूचना अधिकार में वह अन्य किसी दुकान में पहले से सुरक्षित है जिससे उसको डिस्क्रेट आदि में न्यानांतरित किया जा सके।
- आदेक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जाती है जिसमें वह मानता है। नवाचारि, यदि विक्रमी विभेद व्यक्ति में मार्गी गई सूचना की आपूर्ति ने लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनप्रेक्षित ढंग से विवलन होता है या इससे एकदौरों के परिवर्तन में केंद्र द्वारा की सम्पादना होती है तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है।

#### सूचना के अधिकार के तहत शुल्क संबंधी प्रावधान :-

- सूचना मानने के लिए आवेदन शुल्क 10/- रुपये प्रति आवेदन निर्धारित है।
- 13/14 साईट के पेपर की फोटो स्टेट के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ, बड़े आकार की फोटो कराये के लिए इन दर द्वारा दर्शाया जाएं।
- तीन द्वारा यह सूचना मानने पर ₹ 50/-।
- आवेदन या दस्तावेज़ हेतु शुल्क का भुगतान देक ड्राफ्ट, बोस्टल आंडर, नान न्यूडिजियल स्टाप्प ऐपर, ट्रेनरी चानान ड्वारा या नगद राखि जमा कर दिया जा सकता है।
- नर्सी रेखा के नीचे की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उसे गरीबी रेखा के नीचे के स्तर का होने के दावे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन के साथ निर्धारित 10/- रुपये के शुल्क अथवा आवेदनकर्ता के गरीबी रेखा के नीचे वाला होने का प्रमाण, ऐसे पांच मामला हो, नहीं होने पर आवेदन को अधिनियम के अंतर्गत वैध आवेदन नहीं माना जाएगा। ऐसे आवेदक को अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

#### लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने बारे में स्वतः प्रकाशित करने वाली सूचनाएँ :-

- अधिकार के कार्य कर्तव्य एवं उपलब्धियाँ।
- अपने लोक संघों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।
- अपने कार्य किन नियमों, विधियों, अनुदेशों, नियंत्रणकार्यों और अभिलेखों के आधार पर किए जाते हैं।
- प्राधिकारण में लोक संघों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त वेतन की जानकारी।
- शीन-होन से दस्तावेज, उनके पास है।
- नियंत्रण लागू करने के लिए बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।
- नान सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य संबंधित विवरण।
- नानों द्वारा नियंत्रण के लिये न्यायित नियम, नियंत्रण करने की प्रक्रिया।
- मूल्यांकन करने के लिए नागरिकों की उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

#### मूल्यांकन करने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :-

- मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए आवेदन का केवल नियंत्रित प्रपत्र नहीं है। नियंत्रित शुल्क के साथ आवेदन सादे कागज पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तथापि, आवेदन में आवेदक का नाम तथा डाक का गूरा पता लिखा होना चाहिए। यहां तक कि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मार्गी जाने वाली सूचना में भी आवेदक का नाम और डाक का पता होना चाहिए।
- मूल्यांकन करने के लिए नागरिकों की उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

#### नान सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का निपटान :-

- नान सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह एक वैध आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना मुहैया करवाए। यदि मार्गी गई सूचना व्यक्ति के नीचे अथवा स्वनत्ता से संबंधित होती है तो सूचना, ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने के 48 घण्टों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

यदि तब सूचना अधिकारी को यह मत है कि पार्टी गई सूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान नहीं की जा सकती तो वह आवेदन को अद्योक्तर नहीं देगा। अथापि, आवेदन अद्योक्तर करते समय वह आवेदक को ऐसी अद्योक्तृत के कारण तथा अपीलीय प्राधिकारी का ब्लौरा सूचित करेगा। इस आवेदन को अपील दायर करने की अपेक्षा जिवारण भी देंगा।

- यदि आवेदक को कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करना अपेक्षित है तो जन सूचना अधिकारी, आवेदक को जन सूचना अधिकारीके शुल्क का ब्लौरा देते हुए आवेदक द्वारा अद्या की जाने वाली कुल देप राशि की सूचना देगा। जन सूचना अधिकारी से ऐसा एक संशोधन प्राप्त होने के बाद आवेदक संवाद लोक प्राधिकारी के लिए अधिकारी के पक्ष में उपयुक्त रसीद द्वारा नाम घनराशि जमा करता है। यदि जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचित की गई अतिरिक्त घनराशि आवेदक द्वारा जमा नहीं करवाई जाती है तो जन सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने के लिए दायर नहीं है।
- यदि अपीलीय शुल्क तकमा कानूनी जाना अपेक्षित है, यदि अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के समय में सूचना डिस्पेच करने और आवेदक द्वारा शुल्क व भुगतान के बीच की अवधि को उम्मीद 30 दिन की अवधि के बान्धन के प्रयोगन से बाहर रखा जाएगा, जिसके भीतर जन सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।
- यदि जन सूचना अधिकारी, 30 दिन की अवधि के भीतर अथवा 48 घण्टों के भीतर, जैसा भी विधित हो, सूचना के अनुरोध पर अपना निर्णय देने के अवधि रहता है तो यह माना जाएगा कि सूचना देने से इकार कर दिया गया है।

### आवेदन का हस्तांतरण :-

- यदि आवेदन के माध्यमिक शुल्क अथवा गर्भायी देश के नीचे का प्रावधानपत्र संलग्न है, तो जन सूचना अधिकारी को देखना चाहिए कि क्या आवेदन की विषय-वस्तु अथवा उसका कोई खण्ड किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हो नहीं है, यदि आवेदन का विषय-वस्तु किसी अन्य विभाग या विभागों से संबंधित हो तो उक्त भ्रावेदन को सबबद लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। यदि आवेदन अधिक रूप से उस लोक प्राधिकरण से संबंधित हो, तो उस लोक प्राधिकरण से संबंधित खण्ड ही स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन की एक प्रति उस खण्ड प्राधिकरण को में देनी चाहिए। आवेदन का हस्तांतरण करते समय अथवा उसकी प्रति भेजते समय संबंधित लोक प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए। यदि आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया गया है। आवेदक को उसके आवेदन के स्थानांतरण के बारे में तथा उस लोक प्राधिकरण, जिसके उपर आवेदन अधिक विस्तृत उनका आवेदन अथवा असरी एक प्रति भेजी गई है, के बारे में भी सूचित कर देना चाहिए।
- आवेदन प्रस्तुत उसके भाग का हस्तांतरण जिसमा जल्दी सम्बद्ध हो, कर देना चाहिए। यह व्यान रखा जाए कि हस्तांतरण करने में आवेदन का प्राप्ति विभाग में पांच दिन में अधिक का समय न लगे। यदि कोई जन सूचना अधिकारी किसी आवेदन की प्रति के पांच दिन के बाद उस आवेदन का हस्तांतरण करना है तो उस आवेदन के विपरीत में तोड़े जाने विलम्ब में से इनमें समय के लिए वह विष्पेदार होगा जो उसने स्थानांतरण में बहुत जटिलता लाया।
- यदि यह अधिकरण या जन सूचना अधिकारी विसे आवेदन हस्तांतरित किया गया है, इस अधार पर आवेदन के हस्तांतरण को नामजूर नहीं कर सकते वह अवधि 5 दिन है जोतरा हस्तांतरित नहीं किया गया।

### तीसरी पक्ष की जानकारी :-

- यह अधिनियम के सर्वभूमि में तीसरी पार्टी का तात्पर्य आवेदक से भिन्न अन्य व्यक्ति से है। ऐसे लोक प्राधिकरण भी तीसरी पार्टी की परिभाषा में शामिल होने विसमें सूचना नहीं पार्टी गई है।
- अवधिकारी देकि वाणिज्यिक गुण वाली, व्यावासायिक गुणवत्त्वों और शोधिक सम्बद्धि संबंधित ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतिपोषणीयता दो शर्ति पूछतांत्रिकी दो ओर प्रकटन से छुट्ट प्राप्त है। धारा 8(1) (घ) के अनुसार यह अपेक्षित है कि ऐसी सूचना को प्रकट न किया जाए जब उसे 100% समय प्राधिकारी द्वारा बात से आश्वस्त न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटन वृक्षत लोक हित में प्राधिकृत है।
- यदि यह आवेदक ऐसी सूचना प्राप्त करता है जो किसी तीसरी पार्टी से संबंधित रुक्षता है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और तीसरी पार्टी ने उसी सूचना को एपेलीय माना है, तो तीसरी पार्टी लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह सूचना को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करें। यह सामाजिक मानकों के लाभान्वयन के लिए विभाग के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न विभागों से तीसरी पार्टी को सम्बंधित हानि की अपेक्षा वृहत्तर लोक हित संघर्ष हो जाए तो यह अधिकृत है शी जाए वर्ती कि सूचना कवर्नर द्वारा सरकारी व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से संबंधित न हो। तथापि, ऐसी

मुख्यता के प्रकटन से पहले नीचे दी गई प्रक्रिया को प्रयोग करके इसका उपयोग तभी अपनाया जाना है जब तीसरी पार्टी ने मुद्यना को गोपनीय माना हो।

- पांडि जन सूचना अंगिकारी सूचना को प्रकट करना उत्तम प्रयत्न है। यह उत्तम प्रयत्न है कि जल के मौजा, गीतरी पार्टी को एक लिंगिक सूचना देनी चाहिए कि सूचना का अंगिकार अंदरूनीय पक्ष के बाहर प्रत्येक दूसरे वर्ग के हैं और वह सूचना को प्रकट करना चाहता है। इसे तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि उत्तम प्रयत्न के बाहर इसे लिंगिक प्रकट वालों का बदला करने का न करने के मध्य में आपना पक्ष रखे। तृतीय पक्ष को प्रसारित प्रयत्न के बाहर उत्तम प्रयत्न के बाहर उत्तम प्रयत्न रखा चाहिए।
  - जन सूचना अंगिकारी को चाहिए कि वह तृतीय पक्ष के लिंगिक को ध्यान में रखने का उत्तम प्रयत्न करने के बाहर में है। ऐसा नियम सूचना के प्रत्युषण की प्राप्ति से उत्तम प्रयत्न के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए। लिंगिक को जन के उत्तम प्रयत्न के बदला करने की लिंगिक मूल्यों की सूचना है। उत्तम प्रयत्न की सूचना है कि जन का उत्तम प्रयत्न के बदला करने की दृष्टि से उत्तम प्रयत्न करने का तह है।
  - तृतीय पक्ष जन सूचना अंगिकारी कुछ लोगों के लिंगिक के बाहर उत्तम प्रयत्न के बदला करने की सूचना अंगिकारी के समस्त अंगिकार कर सकता है। यह तृतीय पक्ष अधिक अंगिकारों के बाहर उत्तम प्रयत्न के बाहर उत्तम प्रयत्न के बाहर उत्तम प्रयत्न कर सकता है।
  - पांडि तृतीय पक्ष द्वारा जन सूचना अंगिकारों के बदला करने की सूचना अंगिकारों के बाहर उत्तम प्रयत्न के बाहर उत्तम प्रयत्न करनी चाहिए तब वह उत्तम प्रयत्न के बाहर उत्तम प्रयत्न कर सकता है।

सुवना के प्रकटन से छूट :-

- लोक प्राचीनकार्य से मूरचा मानने का अधिकार अनिवार्यता नहीं है। इन्हें उपर्युक्त की दारा 5 इंच 6 में उपर्युक्त की जैसी अधिकारी को दिया गया है जिन्हें प्रकटन से छूट प्राप्त है। इसी प्रकार अधिनियम की अनुसूची-11 में ऐसे उपर्युक्त की दारा नाम दिया गया है जिन्हें अधिनियम के कार्यस्थेत्र से छूट प्राप्त है।
  - मूरचा विसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अधिकारी, गवर्नर ऑफ़ राजस्थान इन्हें उपर्युक्त की दारा इंडियन विंडोज़ में सबसे पर प्रतिकूल प्रभाव पहुंचा हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन देता है।
  - दूसरा विसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकारण द्वारा अधियुक्त वय में नियंत्रित किया जाता है तो उसके प्रकटन से न्यायालय का अवधारणा दिया जाता है।
  - मूरचा विसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का इन इन्हें होता है।
  - वर्तमान की व्यक्तिगत जानकारी विसके प्रकटन से विस्तृत लोक हितों का समर्थन का बोला है।
  - व्यक्ति के जीवन एवं सुरक्षा के प्रति खनन दैवा करने वाली मूरचा।
  - जो कार्य प्रक्रिया को प्रशासित करने वाली हो।
  - विनाश देने से पहले अविष्टल के विचार-विषयों के अप्रिलेख।
  - विनाश व्यक्ति की व्यक्तिगत मूरचा।
  - मार्गीणी है कि अधिनियम नीं धारा 8(3) के अनुसार लोक प्राचीनारियों से यह जारी नहीं की गई है कि वे अप्रिलेखों को अनन्त काल तक सुरक्षित रहें। लोक प्राचीनकार्य को प्राचीनकार्य में लागू अधिलेख पारां अनुसूची के अनुसार ही अप्रिलेखों को सरकार रखना चाहिए। किसी काइल में सूचित जानकारी फाइन-अप्रिलेख के बारे से जाने के बाद वीं काशोलग आपान अधिकार एवं अधिकारों की अन्य रूप में पौटूट रह सकती है। अधिनियम के अनुसार यह अपेक्षित है कि धारा 8 वीं उप-धारा (1) के अतर्गत-प्रकटन से छूट प्राप्त होने के बाबजूद भी, 20 वर्ष बाद इस प्रकार उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। अर्थ यह है कि ऐसी जानकारी जिसे सामान्य रूप से अधिनियम की धारा 8 वीं उप-धारा (1) के अतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है, जानकारी से सबसित पटना के वर्तित होने के 20 वर्ष बाद ऐसी छूट से मुक्त हो जाएगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकार की जानकारी के लिए प्रकटन से छूट जारी रहेगी और 20 वर्ष बाद जाने के बाद भी ऐसी जानकारी को किसी जानकारी को देने वालीकारी नहीं होगा।

पृथक्करण द्वारा आंशिक सुचना की आपत्ति :-

- शॉट किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जिसके कुछ भाग को तो प्रकटीकरण से छुट मिली हुई है तो किन उमसका कुछ भाग ऐसा है

जो छूट के अंतर्गत नहीं आता है और जिसे इस प्रकार पृथक किया जा सके कि पृथक किए हुए भाग में छूट प्राप्त जानकारी दब पाए, तो जानकारी हे ऐसे पृथक किए हुए भाग/रिकार्ड को आवेदक को मुहैया कराया जा सकता है। जहाँ रिकार्ड के किसी भाग के प्रकटीकरण को इस तरीके से अनुप्रीत की जाए तो जन सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ गई सूचना को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथकरण के बाद मुहैया कराया जा रहा है जिसको प्रकटीकरण से छूट प्राप्त नहीं है। ऐसा करते समय, उसे निर्णय देने कारण बताने चाहिए। साथ ही उस समझी, जिस पर निष्कर्ष आधारित था, का संदर्भ देते हुए सामग्रीगत प्रश्नों पर निष्कर्ष भी बताना चाहिए। इन प्रश्नों में जन सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति से पहले समुचित प्राप्तिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए तथा निर्णय लेने काले अधिकारी के नाम तथा वदनाम की सूचना भी आवेदक को देनी चाहिए।

### राज्य सूचना आयोग को शिकायत के बिन्दु :-

- जन सूचना अधिकारी ने आवेदन व्ये स्वीकार करने से इकार कर दिया।
- उद्दीपत समय सीमा के भीतर सूचना न दिली हो।
- उन गटिय देने की अपेक्षा की गई हो, तो आवेदक अनुप्रीत समझता हो।
- यह आवेदक यह बताता है कि उसे अद्यूत या गलत सूचना दी गई है।

### सूचना प्राप्ति न होने पर नागरिक के अधिकार :-

- जन सूचना न मिलते या आवेदक सूचना आयोग को सीधा शिकायत कर सकता है।
- यह सूचना आदी अद्यूत है या आवेदक सूचना से असंतुष्ट है तो वह विभाग के प्रथम अपीलीय प्राप्तिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। प्रथम अपीलीय प्राप्तिकारी अपील पर अधिकारित 45 दिन ने निर्णय देने के लिए बाध्य है।
- यह आवेदक प्रथम अपीलीय प्राप्तिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह निर्णय के 90 दिन के अन्दर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को कर सकता है।
- यह जन सूचना अधिकारी को सूचना न देने का दोषी पाया जाता है तो राज्य सूचना आयोग द्वारा उस पर 250 रुपये प्रतिदिन किन्तु अधिकतम 1000 रुपये तक टक्के आरोपित किया जा सकता है तथा आयोग उसके विस्तृद विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

### द्वितीय अपील की प्रक्रिया :-

- 1: प्रथम अपीलीय अधिकारी, नियोजित अवधि के भीतर अपील पर आदेश जारी करने में असफल रहता है अथवा अपीलकर्ता, प्रथम अपीलीय अधिकारी जो आदेश से सत्याग्रह नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय की तारीख अथवा जिस तारीख को अपीलकर्ता को निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ हो से 90 दिनों की अवधि के भीतर राज्य सूचना आयोग के पास दूसरी अपील कर सकता है। राज्य सूचना आयोग को की गई अपील में निम्नलिखित सूचनाएँ निहित होनी चाहिए।
- अपीलकर्ता का नाम और पता।
- यह जन सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसके निर्णय के विस्तृद प्रथम अपील की गई है।
- यह आदेश भी, जिसके विस्तृद अपील की गई है, भी संज्ञा, पदि कोई है, सहित उसका व्यौरा।
- अपील के लिए उत्तराधीन संक्षिप्त तथ्य।
- यह अपील सभी गई नामजूरी के विस्तृद की गई है तो आवेदन की विशिष्टिया, जिसके अंतर्गत संघांक और तारीख भी हो तथा उस जन सूचना अधिकारी का, जिसको आवेदन किया गया था, नाम और पता।
- यह गई नामजूरी अथवा राहत के लिए आधार।
- अपीलकर्ता द्वारा सत्याग्रह।
- यहें और सूचना, जिसकी आवश्यकता आयोग को अपील का निर्णय लेने के लिए पड़ सकती है।

**सूचना का अधिकार अधिनियम बनाम अन्य अधिनियम :-**

- सूचना का अधिकार अधिनियम का अन्य विधियों की तुलना में अधिकारी प्रभावी है इनकार लोकोंवाले इन्हें 1923 और तत्काल प्रभावी विधि वाले वानून में ऐसे प्रावधान, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रदर्शने के लिए है जो विधियों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होगे।

**जन सूचना अधिकारियों को नामित करना :-**

- इन्हें लोक प्रशिकाण वो आपने भवीतनश्च सभी प्रशासनिक इकाईयों वाला अधिकारी है जो उन सूचना अधिकारी वालों का नामित करने देते हैं। इन प्रथम अधीकारीय अधिकारी वी नामित करने चाहिए और उनका विवरण जन सूचना अधिकारी वाले के विवरण के बारे में उक्तजन कर देना चाहिए। प्रत्येक लोक अधिकारी वी नामित करने चाहिए और उनका विवरण जन सूचना अधिकारी वाले के विवरण के बारे में उक्तजन कर देना चाहिए।

**आग नागरिकों, जन सूचना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के अधिनियम के संबंध में जानकारी प्रदान करना एवं प्रशिक्षित करना :-**

- इन्हें के सभी किसी भी वार्ता विभाग विभाग इनकार लोकोंवाले उनके अधिकारी वाले में अधिकारी का प्रयोग वाले से संबोधन समझदारी बहाने के लिए वैक्षणिक कार्यक्रमों का विकास और अपेक्षित रूप करने के बारे में सटीक सूचना वाले से संबोधन समझदारी वाले को सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है। उनमें अपेक्षा गोत्रविधियों के बारे में सटीक सूचना वाले से संबोधन समझदारी वाले के लिए प्रशासनिक इकाईयों के जन सूचना अधिकारियों और अन्य अधिकारियों का प्रशिकाण आवश्यक है। अतः लोक प्रशिकारी वालों के ने आपने जन सूचना अधिकारी/प्रथम अधीकारीय प्राविकारी तथा अन्य अधिकारियों, जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष भूमिका ना कर सकते हों के प्रशिकाण हेतु व्यवस्था करें।

## **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

### **भाग—02**

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 –मार्गदर्शी दिशा–निर्देश**

**कार्यालय**

**नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)**

दूरभाष नं0-07762-222911 फैक्स नं0-07762-222923

E-mail:-nraigarh@ymail.com, website [www.nagarnigamraigarh.com](http://www.nagarnigamraigarh.com)